राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—63/2015

शिवरतन शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक, अंग्रेजी विषय में पदोन्नति प्रदान की गई है, जबकि अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत विषय में पदोन्नति की मांग की थी। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात अपीलार्थी को संस्कृत विषय में वर्ष 2013—14 पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 24.04.2016 पेश किया है, जो अनुलग्नक—आर1 है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें प्राप्त हो चुका है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से किये गये उक्त कथन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार यह अपील निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)